कार्यालय जिला पदाधिकारी एवं समाहर्त्ता, औरंगाबाद।

(जिला स्थापना शाखा)

आदेश सं0 303 /2019-20

इस कार्यालय के आदेश सं0-298/2019-20 संसूचित ज्ञापांक-470/स्था0, दिनांक-03.07.2019 के द्वारा कार्यहित एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण से प्रधान लिपिकों/लिपिकों का पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति विभिन्न कार्यालयों/शाखाओं में किया गया था। उक्त आदेश के द्वारा श्री सूरजमल प्रसाद सिंह, लिपिक, जिला नजारत शाखा, औरंगाबाद की प्रतिनियुक्ति प्रखण्ड कार्यालय, देव में की गयी थी। उक्त आदेश के आलोक में श्री सिंह के द्वारा सूचित किया गया कि देव प्रखण्ड उनका गृह प्रखण्ड है जहाँ सहज एवं निष्पक्ष रूप से कार्य करने में उन्हें असुविधा होगी। देव प्रखंड में किये गये प्रतिनियुक्ति के स्थान पर उन्होंने जिला मुख्यालय के किसी शाखा में प्रतिनियुक्त करने का अनुरोध किया है। श्री सिंह द्वारा किये गये अनुरोध एवं कार्यहित में श्री सूरजमल प्रसाद सिंह, लिपिक, जिला नजारत शाखा, औरंगाबाद का प्रखण्ड कार्यालय, देव में की गयी प्रतिनियुक्ति रद्द करते हुए उनकी प्रतिनियुक्ति जिला कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद में की जाती है। श्री सिंह को आदेश दिया जाता है कि वे अपने जिम्मे के सम्पूर्ण कार्यों का प्रभार (जिला लेखा शाखा एवं भू-अर्जन नजारत सहित) सौंप कर एक सप्ताह के अन्दर अपना योगदान जिला कल्याण कार्यालय, औरंगाबाद में देना सुनिश्चित करेंगे।

8.7.19

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

ज्ञापांक- 486 /स्था0, दिनांक- 8-7-2019

प्रतिलिपि :- अपर समाहर्त्ता, औरंगाबाद /उप विकास आयुक्त, औरंगाबाद/अनुमण्डल पदाधिकारी, औरंगाबाद एवं दाउदनगर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला भू अर्जन पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रभारी पदाधिकारी, जिला लेखा शाखा, औरंगाबाद/जिला कल्याण पदाधिकारी, औरंगाबाद/जिला नजारत उप समाहर्त्ता, औरंगाबाद/कोषागार पदाधिकारी, औरंगाबाद/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, देव/समाहरणालय स्थित सभी शाखाओं के प्रभारी पदाधिकारी एवं संबंधित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना ~~एवं विज्ञापन~~ पदाधिकारी, औरंगाबाद को सूचनार्थ व आदेश की एक प्रति को जिला के वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- श्री सूरजमल प्रसाद सिंह, लिपिक, जिला नजारत शाखा, औरंगाबाद को अनुपालनार्थ प्रेषित।

8.7.19

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।